रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017/वैशाख 15, 1939**
No. 185]	**NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10.— पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 (2013 का 23), की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठनीय उपधारा (2) के खंड (ब.) और धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (घ.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामत:-

1 इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 है।

2 यह आधिकारिक राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

3 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 में:

(I) विनियमन 2 के खंड (x), परिभाषित संभावित अभिदाताओं को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा

(X) " संभावित अभिदाता" से तात्पर्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के भावी अभिदाता या अभिदाताओं का समूह अथवा कोई संगठन या निगम या नियोक्ता, जो अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को क्रियान्वित करने की वांछा रखता हो अथवा ऐसी पेंशन प्रणाली को लागू कर चुका हों, और जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्राधिकार में उपलब्ध है, भारत के नागरिक, जो ऐसे क्षेत्राधिकार में रहते हैं।

(II) विनियमन (13) के खंड (घ) के बाद निम्न खंड सन्निविष्ट किया जाएगा:

(ङ.) सेवानिवृत्ति सलाहकारों के रूप में संस्थाएं (व्यक्तियों के अलावा) जो प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, को भारत के क्षेत्र के बाहर विशिष्ट वर्गों या संभावित अभिदाताओं के वर्गों के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाएं संचालित करने की विशेष अनुमति दी जाएगी। इस तरह की संस्थाएं प्राधिकरण में आवेदन एवं आवेदन शुल्क, यदि है और लिखित अनुरोध के साथ प्रस्तुत करेंगे, पूर्व विशिष्ट अनुमोदन की मांग करेगी। सेवानिवृत्ति सलाहकार को संबंधित क्षेत्राधिकार (भारत से बाहर) में लागू विधि के अनुसार जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, पूर्व अनुमोदित किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण अनुमति दे सकता है।

प्राधिकरण अनुमोदन देते समय, आवेदक के पिछले अनुभव, निष्पादन रिकार्ड और प्रदर्शन को ध्यान में रखेगा।

(III) विनियमन 15 के उप-विनियमन (2) के बाद, निम्न खंड सन्निविष्ट किया जाएगा:

(3) उप-विनियमन (1) में अनर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, योग्य संभावित अभिदाताओं के संबंध में, भारत के क्षेत्र के बाहर, सेवानिवृत्ति सलाहकार, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से उनको सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है, ऐसे सेवानिवृत्ति सलाहकार भारत के बाहर के क्षेत्र में संभावित अभिदाता से आवेदन लेता है, और भारत में उपस्थिति अस्तित्व को खाता खोलने के लिए भेजता है या ऑनलाइन माध्यम से खाता खुलवाता है, तो सेवानिवृत्ति सलाहकार उन खातों के लिए आठ यूएस डॉलर या समतुल्य मुद्रा के लिए ऑन-बोर्डिंग शुल्क का हक़दार होगा।

सेवानिवृत्ति सलाहकार भारत के बाहर, ऐसे क्षेत्र में जहाँ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सेवाएं प्रदान की जाती है, संभावित अभिदाता से आवेदन लेता है और वहाँ की पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व की शाखा में प्रस्तुत करता है, सेवानिवृत्ति सलाहकार की ऑन-बोर्डिंग फीस दो यूएस डॉलर तक या समतुल्य मुद्रा तक ही सीमित होंगी।

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./47/17]

पाद टिप्पणी:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग III खंड 4, में, 13 जून, 2016 को प्रकाशित किया गया।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2017

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (RETIREMENT ADVISER) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

No. PFRDA/12/RGL/139/10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clause (w) of sub-section (2) thereof and clause (d) of sub-section (2) of Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 namely:

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (First Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016:-

   (I) Clause (x) of Regulation 2, defining prospect shall be amended as under:

(x) "Prospects" means any prospective subscriber or group of subscribers of National Pension System or any organisation or corporate or employer, which desires to implement National Pension System for its employees or has implemented such pension system for its employees, and where National Pension System is available in a jurisdiction outside the territory of India, citizens of India, residing in such jurisdictions.

(II) After clause (d) of regulation (13) the following clause shall be inserted:

(e) entities, other than individuals, registered with the Authority, as retirement advisers, shall only be allowed to conduct the Retirement Advisory services, outside the territory of India, for certain classes or sections of prospects, to the extent so specifically permitted. Such entities shall seek prior specific approval, by submitting written request to Authority along with an application and fee, if any, that may be specified. The Authority may grant the approval, subject to the condition that Retirement Adviser will take prior approval, where so required, as per relevant law, of the concerned jurisdiction, outside India.

The Authority may while granting such approval, interalia have regard to the past experience, track-record and performance of the applicant.

(III) After sub-regulation (2) of Regulation 15, the following regulation shall be added

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), in respect of eligible prospects, outside the territory of India, the retirement adviser, who has been specifically allowed to render services to them, by the Authority, shall be entitled to collect an on-boarding fee of upto eight US $ or in equivalent currency, from the prospect, where such retirement adviser sources the application from prospect in such territory, outside India, and sends the same to Point of- Presence, in India, for account opening or getting it opened through online platform.

Where the Retirement Adviser sources the application from prospect, outside the territory of India and submits the same to the branch of registered Points-of-Presence, providing services under National Pension System in such territory, the on-boarding fee which may be collected by the Retirement Adviser, from the prospect, shall be limited up to two US$ or in equivalent currency.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./47/17]

Footnote:

1. The principal regulations, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 was published in the Gazette of India, Part III, Section 4 on June 13, 2016 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/1.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.08 22:43:00 +05'30'